

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या— 440/37-1-2017-5(129)/2010
लखनऊ: दिनांक २३ मार्च, 2017

कार्यालय—आदेश

शासन की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या—3548/37-1-2010-11(29)/2001 दिनांक 28.07.2010 एवं संपर्कित शासनादेश संख्या—835/37-1-2010-11(29)/2001 दिनांक 03.03.2011 द्वारा उ0प्र० के समस्त जनपदों में सोसायटी फार प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएलिटी टू एनीमल (एस०पी०सी०ए०) की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उक्त विज्ञप्ति के प्रस्तर—7 एवं 8 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या—4542/ 37-1-2013 दिनांक 15.01.2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कुल 65 जनपदों एवं कार्यालय आदेश संख्या—534/37-1-2013 दिनांक 04.06.2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा 09 जनपदों की एस०पी०सी०ए० की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया गया था।

2— तात्कालिक प्रभाव से विज्ञप्ति के प्रस्तर—7 एवं 8 के अधीन हुये उपरोक्त सदस्यों के नामांकन को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

डा० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या—440(1)/37-1-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— मुख्य सचिव, उ0प्र० शासन।
- 2— सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पो० बॉक्स नं०—8672,13/थर्ड शीवार्ड रोड, बाल्मीकिनगर, थिरुवनमग्नीयूर, चेन्नाई—600041
- 3— संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, (द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन।)
- 4— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र० लखनऊ।
- 5— संबंधित जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, संबंधित जिला वन अधिकारी/नगर निगम के नगर आयुक्त/नगर पालिका परिषद के अधिकारी/अधिकारी।
- 6— निदेशक, प्रशासन एवं विकास/ निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग उ0प्र० लखनऊ।
- 7— अपर निदेशक, ग्रेड—2 पशुपालन विभाग/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, (द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन।)
- 8— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र०।
- 9— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र० लखनऊ के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया आगामी गजट में प्रकाशित कर 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10—गार्ड बुक।

पृष्ठा० ८०—२२

२०१७

आज्ञा से,

(राहुल सिंह)

विशेष सचिव।

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या ५७९३/सा०-२/शासनादेशों का प्रेषण २०१६-१७/ दिनांक ३१-०३-२०१७

शासनादेश संख्या-४४०/३७-१-२०१७-५(१२९)/२०१०, दिनांक २३ मार्च, २०१७ (छायाप्रति संलग्न) की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- (१) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
- (२) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-२ पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (३) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (४) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी / पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
- (५) समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः—उक्तानुसार।

(डा० चरण सिंह यादव)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास